लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 404

22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उत्पादों के निर्यात में असम की हिस्सेदारी बढ़ाना

404. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम रेशम और हथकरघा वस्त्र जैसे विशिष्ट उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वैश्विक बाजार में असम के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी पहल की जा रही हैं;

(ख) क्या असम के वस्त्र उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के पास अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या असम के वस्त्र उत्पादों की वैश्विक पहचान और मांग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विपणन और ब्रांडिंग की कोई योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग): भारत सरकार ने वैश्विक बाजार में असम के वस्त्र क्षेत्र सहित भारतीय वस्त्र उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं।

रेशम क्षेत्र में, असम के मुगा रेशम को भौगोलिक संकेत (जीआई) का दर्जा प्रदान करने तथा एरी रेशम के लिए जर्मनी से ओईकोटेक्स सर्टिफिकेशन प्राप्त करने जैसी पहलें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई हैं।

सरकार निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से जीरो-रेटेड निर्यात के सिद्धांत को अपनाकर अपैरल/गारमेंट और मेडअप्स के लिए राज्य एवं केंद्रीय करों एवं शुल्क में छूट (आरओएससीटीएल) योजना लागू कर रही है। इसके अलावा, आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत शामिल न होने वाले वस्त्र उत्पादों को अन्य पात्र उत्पादों के साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

भारत ने 14 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 6 अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं और हाल ही में यू.के के साथ एफटीए किया गया है। इन एफटीए का उद्देश्य टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और साझेदार बाजारों में भारतीय निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करना है।

सरकार विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (जैसे रेशम के लिए आईएसईपीसी और हथकरघा के लिए एचईपीसी) तथा वस्त्र एवं अपैरल निर्यात को बढ़ावा देने में लगे व्यापार निकायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और उनमें भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

मंत्रालय ने भारतीय वस्त्र मूल्य श्रृंखला की क्षमता को प्रदर्शित करने, वस्त्र और फैशन उद्योग में नवीनतम प्रगति और नवाचारों को उजागर करने और वस्त्र क्षेत्र में सोर्सिंग और निवेश के लिए भारत को सबसे पंसदीदा स्थान के रूप में स्थापित करने के लिए एक वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम - भारत टेक्स 2025 के आयोजन में निर्यात संवर्धन परिषदों/संघों को सहायता प्रदान की है।

वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के माध्यम से, निम्नलिखित योजनाओं को लागू करके, असम सहित, पूरे देश में हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देता है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)
2. कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस)

उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत, पात्र हथकरघा एजेंसियों और बुनकरों को कच्ची सामग्री की खरीद, उन्नत करघे और सहायक उपकरण, सौर प्रकाश इकाइयां, वर्क शेड का निर्माण, कौशल विकास, उत्पाद और डिजाइन विकास, तकनीकी और सामान्य अवसंरचना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हथकरघा उत्पादों के विपणन, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण, सामाजिक सुरक्षा, आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उपयुक्त शीर्ष/प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों, निगमों, उत्पादक कंपनियों, हथकरघा पुरस्कार विजेताओं, निर्यातकों और विशिष्ट निर्यात योग्य हथकरघा उत्पाद बनाने वाले अन्य प्रतिभाशाली बुनकरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विपणन संबंध स्थापित करने हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों, बड़े आयोजनों, क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम), रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकों (आरबीएसएम) और अन्य विपणन पहलों में भागीदारी के माध्यम से निर्यात संवर्धन को बढ़ावा दिया जाता है। प्रचार और ब्रांड विकास भारत हथकरघा ब्रांड (आईएचबी), हथकरघा मार्क (एचएलएम) और संबंधित उपायों के माध्यम से किया जाता है।

हथकरघा बुनकरों को यार्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) लागू की गई है। इस योजना के तहत, सभी प्रकार के यार्न के लिए माल ढुलाई शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है, और कॉटन हेंक यार्न, घरेलू रेशम, ऊन, लिनन यार्न और नेचुरल फाइबर से बने ब्लेंडेड यार्न के लिए 15% मूल्य सब्सिडी प्रदान की जाती है।

इसी प्रकार, हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय देश भर के हस्तशिल्प के संवर्धन तथा समग्र विकास हेतु दो प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन करता है: राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)। इन योजनाओं के अंतर्गत, कारीगरों को संपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यकता-आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें विपणन कार्यक्रम, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, उत्पादक कंपनियों का गठन, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, बुनियादी ढाँचा और तकनीकी सहायता, अनुसंधान एवं विकास, डिजिटलीकरण, ब्रांडिंग, और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन शामिल है-इससे असम सहित पूरे देश के पारंपरिक शिल्प और कारीगर लाभान्वित होते हैं।

***